



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112020-223246
CG-DL-E-21112020-223246

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3652]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2020/ कार्तिक 28, 1942

No. 3652]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2020/KARTIKA 28, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

का.आ. 4154(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 तथा (1956 का 48) (जिसे इसमें, इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, संतुष्ट होने के बाद, असम राज्य के बोंगईगांव जिले में निर्धारित जमीन पर म. म. एल. पी. को जोड़ने वाली सड़क के एनएच-17 किलोमीटर 0 से किलोमीटर 3.1, (उपायुक्त कार्यालय, बोंगईगांव) असम राज्य तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित अनुसूची में दिया गया है, इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर उपायुक्त (भूमिअर्जन), जिला बोंगईगांव, को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई तथा जाँच करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों की अनुमोदन या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांकन और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हित बद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

असम राज्य के बोंगईगांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या. – 17 के किलोमीटर 0 से किलोमीटर 3.1,
(उपायुक्त कार्यालय, बोंगईगांव) पास की भूमि के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित
अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: असम		जिले का नाम: बोंगईगांव			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: बोईटमारी					
गांव का नाम: कोरेया पाहार					
1	58	निजी	एग्रीकल्चर	0.6524000(हेक्टेयर)	0.6524000
2	61	निजी	एग्रीकल्चर	0.0014000(हेक्टेयर)	0.0014000
कुल				0.6538	0.6538

[फा. सं. BO Dhubri/MMLP/LA/Bhoomirashi/104B/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2020

S.O.4154(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Connecting road NH-17 to MMLP on the stretch of land from Km 0 to Km 3.1 (Deputy Commissioner Office Bongaigaon) in the district of BONGAIGAON in the state of ASSAM, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Deputy Commissioner in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making

such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the Connecting road NH-17 to MMLP on the stretch of land from Km 0 to Km 3.1 (Deputy Commissioner office Bongaigaon) in the district of BONGAIGAON in the state of ASSAM

State: ASSAM		District: BONGAIGAON			
Sno	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Boitamari					
Village: Koreya Pahar					
1	58	Private	Agriculture	0.6524000(Hectare)	0.6524000
2	61	Private	Agriculture	0.0014000(Hectare)	0.0014000
Total				0.6538	0.6538

[F. No. BO Dhubri/MMLP/LA/Bhoomirashi/104B/3A]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.